

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रकरण संख्या 78/2025 शीर्षक गीता व अन्य वनाम प्रकाशचन्द्र पंडित

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
--------	-----------------	-------------------------

05/01/2026  
 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली सूची क्रि.श. 13 माद  
 दिनांक 28/01/2026 को पेश होगी

28/01/2026  
 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता डा. श्री 34 स्थिति  
 अधिवक्ता डा. श्री 3 का प्रस्ताव में मूल वाद के निष्पत्ति  
 तक वादस्थ आराजीभात की मॉडि व रिमॉडि की  
 प्रथा स्थिति बनाए रखने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली  
 का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता डा. श्री की कथन पर  
 किया गया। अतः डा. श्री का प्रस्ताव अन्तर्गत धारा  
 312 राजस्थान का प्रवर्तनी अधिनियम का खीका विरु  
 जाकर अजागीगीन को पावड किया जाता है कि गार  
 दुप्रामिता पत्रावली हलका माद के खाला संख्या 202 आराजी  
 संख्या 498, 506, 529 कुल क्रि.श. 03 कुल रकम 3.17 लाख  
 तथा खाला संख्या 200 खाला संख्या 505 रकम  
 0.04 लाख कुल मूल वाद के निष्पत्ति तक  
 वरिमात्र रिमॉडि की प्रथा स्थिति बनाए रखेगी। पत्रावली  
 फिलान शुभादि, नम्बर से कम की जागी